रजिस्ट्री सं डी. (डी. एम.)-72 REGISTERED No. D. (D.N)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 124] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 1985/ज्येष्ठ 24, 1907
No. 124] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 1985/JYAISTHA 24, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं 15 आई टी सी (पी एन)/85—88

नई दिल्ली, 14 जून, 1985

विषय :—दूर संचार परियोजना (7) के लिए जापान की विदेश आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा विस्तारित 7 535 बिलियन येन के येन क्रेडिट के लिए माल और सेवाओं के आयात के सम्बन्ध में लाइसेंसिंग शर्तें ।

फा सं आई पी सी/23(15)/84-85 —संचार परियोजना (7) की आयात आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए जापान की विदेश आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा विस्तारित 7 535 बिलियन येन के येन क्रेडिट के अधीन आयात लाइसेंसों के निर्गमन को नियन्त्रित करने वाली शर्तें जो प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती है।

श्री इन्द्र त्रिपाठी, मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं 15-आई टी सी (पी एन)/85—88 दिनांक 14-6-1985 का परिशिष्ट।

जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा प्रदान किए गए दूरसंचार परियोजना (7) के लिए येन 7 535 बिलियन के येन क्रेडिट के अधीन माल और सेवाओं के आयात के संबंध में लाइसेंस शर्तें ।

खण्ड—1 सामान्य शर्तें

1. (1) डाक एवं तार महानिदेशालय की दूर संचार परियोजना की आयात आवश्यकताओं को वित्तपोषण करने के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा प्रदान किया गया 7 535 बिलियन येन का ऋण जापान और विकासशील देशों के लिए खुला है । तदनुसार, इस क्रेडिट के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान और अनुबंध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती हैं । ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पात्र स्रोत देश होंगे ।

1. (2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मदों और उसी मूल्य के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए

महानिदेशालय, तकनीकी, विकास/पूंजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो । इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस (सों) येन का मूल्य 8.30 बिलियन (लागत-बीमा-भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए ।

आयात लाइसेंस का रुपये में मूल्य, राजस्व विभाग (सीमा-शुल्क) द्वारा अधिसूचित विनियम दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रचलित दर और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं. 78-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा-2 के अनुसार आयात लाइसेंस में संकेतित दर पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख है कि सीमा-शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस (सों) में विनिर्दिष्ट मुद्रा विनिमय दर पर लाइसेंस मूल्य के नामे डालेगा । लाइसेंस पर एक शीर्षक जापानी येन ऋण सं. आई टी पी-29 होगा । प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में "एस/जेसी" कोड होगा । डी. जी. पी. एण्ड टी. को आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र में भी इसे दुहराया जाएगा, जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

1. (3) लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर केवल डी. जी. पी. एण्ड टी. के नाम में लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

1. (4) डी. जी. पी. एण्ड टी. की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते है । लेकिन, कुल मूल्य येन 8.30 बिलियन (लागत-बीमा-भाड़ा) येन से अधिक नही होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा (1) में कहा गया है ।

1. (5) पूंजीगत माल के आयात के लिए लाइसेंस 24 महीने की आरम्भिक वैधता अवधि के लिए जारी किए जाएंगे । वैधता अवधि में वृद्धि के लिए नए आयात लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजे जाने चाहिएं ।

1. (6) क्रेडिट के अधीन वित्तदान किए जाने वाले आयात, आयात लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित संलग्न माल और सेवाओं की सूची तक प्रतिबंधित है ।

1. (7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नही दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए । लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे ।

1. (8) पक्के आदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी संभरकों को जहाज पर निःशुल्क के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिएं । भाड़ा बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रुपए में भारत में देय होगा । "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों से है जो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित क्रय संविदा हों । विदेशी संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं के आदेश या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है ।

1. (9) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नही समझा जाएगा जब तक कि ठेकों के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग डब्ल्यू ई 1 अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं । यदि उपयुक्त पैरा 1(8) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनो के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते है तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सकते इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंस धारी को आयात लाइसेंस को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए । आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा । वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते है । लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनो से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे । लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय पदाधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन दिए गए संभरण ठेकों में बैंक गारंटी साख पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र तुल्य रुपया जमा कराने आदि की स्वीकृति की सुविधाओं की अनुमति देंगे ।

1. (10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिएं । माल के पोतलदान पर अलग-अलग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए ठेके में नकद आधार पर अर्थात् पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी

संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किस्म की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित व्यवस्था होनी चाहिए :—

"साख-पत्र की प्राप्ति के बाद ..... महीने परन्तु अधिक से अधिक ..... के अंत तक पूर्ण किया जाता है ।"

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 21-12-88 के बाद की न हो ।

खण्ड–2 सम्भरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें :

2 (1) ठेके का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य येन में (येन की भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए ।

भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए । क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए ।

2 (2) ऋण की धनराशि में से वित्तपोषित की जाने वाली माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति ऋण के अधीन अधिप्राप्ति के लिए मार्ग दर्शन के अनुसार औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं के माध्यम से की जाएगी । लेकिन यदि माल और सेवाओं के लिए औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से भिन्न अधिप्राप्ति क्रियाविधि अपनाने का विचार है जिसका भुगतान ऋण की प्राप्ति में से किया जाएगा तो इसका पूर्व अनुमोदन निधि से प्राप्त किया जाएगा और अधिप्राप्ति क्रियाविधि (यों) अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित भेजे जाएं ।

माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए बोलियां आमंत्रित करने से पहले, बोलीदारों के सभी नोटिस और अनुदेशों की प्रतियां, बोली प्रपत्र, प्रस्तावित संविदा, विशिष्टिकरणों और ड्राईंग्स और बोली से सम्बन्धित सभी अन्य दस्तावेजें पूर्व अनुमोदन के लिए निधि को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

सफल बोलीदार के लिए अधिनिर्णय का नोटिस जारी करने से पहले, अधिनिर्णय के लिए बोलियों का विश्लेषण और प्रस्ताव निधि को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । ओ ई सी एफ का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त दस्तावेजे/आवेदन-पत्र, दो प्रतियों में आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजे जाएं ।

2 (3) विदेशी संभरक का भुगतान, उनके नाम में भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा 1984-85 के लिए ओ ई सी एफ येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं. आई डी पी-29 के अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए। जिसका ब्यौरा नीचे खण्ड 6 में दिया गया है ।

2 (4) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा की जानी चाहिए । लेकिन, कुछ विशेष मामलों में, एक से अधिक संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है । जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए ।

2 (5) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे या पात्र स्रोत देशों में शामिल किए गए तथा पंजीकृत किए गए पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा शासित वैध व्यक्ति होंगे ।

2 (6) संविदा में घोषणा

प्रत्येक संविदा में संभरक द्वारा माल एवं संभरक की पात्रता और संभरक के हस्ताक्षर और तारीख से निम्नलिखित घोषणा जोड़ी जाएगी :—

"मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि संभरित किया जाने वाला माल ..... (सम्बन्धित पात्र स्रोत देश का नाम) में उत्पादित है ।

"मैं, अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र स्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 30 प्रतिशत से कम है : —

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयात शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य}} \times 100"$$

और

"मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि ..... (पात्र स्रोत देश का नाम) में ..... (कम्पनी का नाम) समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है ।"

2. (7) अपात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयात

जिन वस्तुओं में अपात्र स्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उसका वित्तदान किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार ऐसे उत्पाद का प्रति एकक का मूल्य मदवार आधार पर आयातित भाग 30 प्रतिशत से कम हों :—

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयातक शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य}} \times 100"$$

खण्ड–3 संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें ।

3 (1) संभरण ठेकों मे निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिएं ।

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) के बीच दूर संचार परियोजना 7 के लिए येन क्रेडिट सं ओ. ई डी पी-29 (परियोजना सहायता) से संबंधित 26 दिसम्बर, 1984 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा ।

(ख) संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) के बीच येन क्रेडिट स. आई डी पी-29 से संबंधित 26 दिसम्बर, 1984 को हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत बैंक ऑफ इंडिया टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साख पत्र के माध्यम से किए जाएंगे ।

(ग) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओ ई सी एफ द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हों ।

(घ) 2(6) में उल्लिखित प्रपत्र मे प्रमाण पत्र (तीन प्रतियों में) ।

3 (2) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण संविदा के संबंध मे एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को, शामिल माल की सुदुर्दगी के कार्यक्रम से अवगत करायेगा और पोत लदान से कम से कम 6 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों मे, जहां भारतीय आयातक इच्छुक हों, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक को प्रत्येक पोतलदान के पश्चात् आवश्यक ब्यौरे देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए ।

खण्ड–4 विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा ठेके का अनुमोदन

4 (1) लाइसेंसधारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर महानिदेशक डाक एवं तार और विदेशी संभरकों दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां जो विदेशी संभरकों द्वारा लिखित मे पुष्टि आदेश के साथ हों या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां संगत बैंक आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित, जापान अनुभाग आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए ।

4 (2) उपर्युक्त क्रियाविधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विषयवस्तु के लिए अनिवार्य आशोधनों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लाग् होगी ।

4 (3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग, दूर संचार परियोजना (7) के लिए येन क्रेडिट स. आई डी पी (29) परियोजना सहायता के अन्तर्गत वित्तदान सहकारिता करने के लिए विदेशी आर्थिक निधि (ओ ई सी एफ) को संविदा दस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा ।

खण्ड–5 विदेशी सभरकों को भुगतान साख-पत्र क्रियाविधि

5 (1) विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) से ठेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग जापान अनुभाग द्वारा महानिदेशक, डाक एवं तार और सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा, नियंत्रक को उसकी सूचना दे दी जाएगी । उसके बाद महानिदेशक डाक एवं तार को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद सी. ए. ए. एण्ड ए. कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबंध-2 के रूप मे संलग्न प्रपत्र मे प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करना चाहिए । सी. ए. ए. एण्ड ए. संबंधित विदेशी संभरक के लिए संलग्न प्रपत्र-3 में एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा जो संबद्ध विदेशी संभरक के नाम मे वास्तविक आयातों के लिए संलग्न अनुबंध-4 के रूप में या (सेवाओं के लिए) अनुबंध-5 के रूप में अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोलने के लिए भारतीय बैंक की टोकियो शाखा को भेजा जाना चाहिए । प्राधिकार पत्र की प्रतियां विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ), भारतीय दूतावास, टोकियो भारत मे आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएंगी ।

5 (2) प्राधिकार-पत्र मिलने पर, भारतीय बैंक, टोकियो अनुबंध-4 (वास्तविक आयातों के लिए लागू होता है) या 5 (सेवाओं के लिए लागू होता है) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साख-पत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा ।

सी. ए. ए. एण्ड ए. से प्राधिकार पत्र के आधार पर साखपत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि संविदा संशोधन या अन्यथा के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे सभी प्राधिकार-पत्र/साख-पत्रों के संशोधनों पर स्वत लागू होगी ।

5 (3) माल का पोतलदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से साख-पत्र में उल्लिखित दस्तावेज

भुगतान के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा, यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक निधि से प्राप्त करेगा ।

5 (4) साख पत्र को खोलने, रख-रखाव और परिचालन पर किए गए सभी खर्चे विदेशी संभरकों या आयातक के लेखे में जाएंगें और इसलिए ओ ई सी एफ से उनका भुगतान नहीं किया जाएगा ।

सम्भरकों को भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा जहाज पर्यन्त निःशुल्क माल की लागत के भुगतान की तिथि और ओ ई सी एफ द्वारा प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच के समय का ब्याज भारतीय बैंक उनके और भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के साथ 25-3-80 को हुए समझौते की शर्तों के अनुसार प्राप्त करेगा और इसकी प्रतिपूर्ति भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा की जाएगी । भारतीय दूतावास, जापान द्वारा ब्याज भुगतान पर किया गया खर्च डाक एवं तार विभाग [देखें खंड 6 (4)] से प्राप्त किया जाएगा ।

खण्ड—6 रुपया निक्षेप करने के लिये उत्तरदायित्व

6(1) भारतीय बैंक, टोकियो सगत प्राधिकार-पत्र के परिशिष्ट में संकेतिक अनुसार महानिदेशक डाक एवं तार के प्राधिकृत बैंकर को पराक्राम्य जहाजरानी दस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली में चालान के ऊपर दाहिने ओर कोने में कोड सं० 5130000009 का संकेत देते हुए रुपया निक्षेप कर दिया गया है । विदेशी संभरकों को किये गये येन भुगतान के समतुल्य रुपये सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-1974 में निर्धारित विधि के अनुसार भारत सरकार के लेखे में जमा किये जाने है ।

विदेशी संभरक को किये गये येन भुगतान के समतुल्य रुपये की गणना करने के लिये अपनायी जाने वाली विनिमय की दर भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की यह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं० 109-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 3-8-74 और सं० 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो । इस संबंध में और ब्याज की दर के संबंध में भी जब भी कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जायेगा । यह सुनिश्चित करने के लिये भारतीय बैंक की जिम्मेदारी होगी कि देय धनराशि आयातकों को आयात दस्तावेज सौंपने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है । आयातक को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये । कि देय धनराशि अपने ऋणदाताओं से दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है । यह सुनिश्चित करने के लिये आयातक की जिम्मेदारी होगी कि देय धनराशि सरकारी खाते में ठीक प्रकार से तुरन्त जमा कर दी है भले ही जब वे विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत सीमाशुल्क प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी प्राप्त करते हैं । यदि आयातक सरकार को देय धनराशि के माल की सुपुर्दगी लेने से पहले जमा नहीं कर पाता तो आगे के लिये उसे प्राधिकार-पत्र देना बन्द कर दिया जाये और मामले की रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को दी जाये ताकि ऐसे आयातक को आगे और आयात लाइसेंस जारी न किये जायें । जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जायेगा वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सिज-843 सिविल डिपोजिट्स फार परचेजिज एटस्ट्रा एग्रीड अंडर क्रेडिट्स लोन एग्रीमेंट" लोन फ्रोम दि गवर्नमेंट आफ जापान 7.535 बिलियन येन क्रेडिट सं० आई डी पी-29 फार दूर संचार परियोजना (7) होना चाहिये । लेकिन 31-5-1974 की उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना में दिये गये ब्याज प्रभारों की गणना और निक्षेप संबंधी व्यवस्थायें लागू नहीं होंगी, क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विभागों के आयातों के संबंध में ब्याज प्रभार वसूल नहीं किये जाते है ।

6(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंट आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में चालान के ऊपर दाहिनी ओर कोने में कोड सं० 5130000009 का संकेत देते हुए सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30-8-1968, सं० 233-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, सं० 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित तरीके में जमा होना चाहिये ।

6(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किये जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से यह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाये । चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971 के पैरा-2 में निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण और प्राधिकारी" (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किये गये हैं। खजाना

चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिये :—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार-पत्र संख्या और दिनांक;

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किये जाने है ;

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि उसके पश्चात् सी ए ए एण्ड ए द्वारा जारी किये गये प्राधिकार-पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी ए ए एण्ड ए को भेजा जाना चाहिये ।

टिप्पणी :—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि रुपये का निक्षेप भारतीय बैंक, टोकियो की अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिये और यह कि इसके तत्काल बाद सी ए ए एण्ड ए वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जायेगा ।

6(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धन-राशि का पृष्ठांकन करना चाहिये और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक, बंबई को भेजना चाहिये ।

भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को दिये गये ब्याज प्रभार आदि के अनुसार ही येन भुगतान के तुल्य रुपये की गणना की उपर्युक्त खण्ड-6 की कंडिका 6(1) में निर्धारित तरीके से की जायेगी और मुख्य लेखाधिकारी के नाम में जमा करा दिया जायगा । विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली, सी ए ए एण्ड ए इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त परामर्श जारी करेगा ।

खण्ड-7 विविध व्यवस्थायें

7(1) आयात लाइसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट

आयातक का पोतलदान और उसके अधीन किये गये भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साख-पत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू०सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिये ।

7(2) संभरकों को विशेष शर्तों के बारे में अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी के आयात लाइसेंस में दिये गये किसी उन विशेष उपबंधों से संभरक को अवगत करा देना चाहिये जो माल के लाने में संभरक पर प्रभाव डालती है ।

7(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिये कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिये भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी । भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किये गये भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुबंध-2 में "भुगतान की शर्तें" के अन्तर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिये । संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से सम्बद्ध व्यवस्थाये शामिल होनी चाहिये ।

7(4) भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों में संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट समझौते (परियोजना सहायता) सं० आई डी पी-29 के अधीन सभी आभारों को विदेशी आर्थिक निगम निधि, जापान (ओ०ई०सी०एफ०) के साथ पूर्ण करने के लिये भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंस धारी को तुरन्त पालन करना होगा ।

7(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जायेगी ।

7(6) अनुबंधों की सूची

1. अनुबंध—1 पात्र स्रोत देशों की सूची
2. अनुबंध—2 प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिये अनुरोध
3. अनुबंध—3 प्राधिकार-पत्र का प्रपत्र
4. अनुबंध—4 साख-पत्र का प्रपत्र (वास्तविक आयातों के लिये लागू)
5. अनुबंध—5 साख-पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिये लागू)

अनुबंध-1

पात्र स्रोत देशों की सूची

(क) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र

(क-1) विदेशी आर्थिक सहयोग से भिन्न विकासशील देश

1. अफ्रीका, उत्तरी सहारा :
   मिश्र
   मोरोक्को
   तुनीशिया
2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा :
   अंगोला
   कैमेरून
   चाड
   मध्य गिनि (1)

घाना
गीनिया
मालागासी गणतंत्र मारितेनिया, मारीशस
पुर्तगाली गिनी
रवाण्डा
सेनेगल
सोमालिया
टेरी आफर्स और इम्मास
तंजानिया गणतंत्र संघ
जाम्बिया
बोत्सवाना
केप वर्डी द्वीप समूह
कामोरो द्वीप समूह
इथोपिया
गिनी
लेसोथो
मालावी
मुजम्बिक

रियूनियम
सेंट हेलिना और डेप (2)
सेचिलिज
सूडान
टोगों
अपर वोल्टा
बुरण्डी
केन्द्रीय अफ्रीका गणतंत्र
कांगों, दाहोमे का गणतंत्र
जांबिया
आइवेरी कोस्ट
लाइबीरिया
माली
नाइजर
रोडेशिया
साओ टोम और प्रिन्सइप
सिएरा लिओन
स्वाजीलैंड
युगांडा
जाइरे गणतंत्र

3. अमेरिका, उत्तरी और केन्द्रीय :
बेहमस
बरमूडा
डोमिनिकन गणतंत्र
ग्वाटेमाला
जमैका
नीदरलैंड अन्टिलीज
बारबाडोज
कोस्टारिका
एल सालवाडोर
हेती
मार्टिनिक
निकारगुआ
बेलाइज
क्यूबा
गुवाडे लोप
होडरस
मैक्सिको
पनामा

सेंट पियरो और मिकेलान, ट्रिनीडाड और टोबागों वेस्ट इंडीज (शाखा) एन आई ई

(क) सहयुक्त राज्य (1)

(ख) आश्रित (2)

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, फरोंडा पो द्वीप सहित।

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित —
असेंशान, ट्रिस्तन्डा इन एमौसिबल्स, नाइटिंगेल, गफ।

(3) मुख्य द्वीप समूह, अरुबा, बोनाइरे, क्यूराकोओ, साहा, सेंट यूस्टासिट सेंट मारटिन (दक्षिण भाग)।

4 दक्षिणी अमेरिका :
अर्जेन्टीना
चिली
फ्रांसिसी गुयाना
पीरू
बोलिविया
कोलम्बिया
गुयाना
सूरिनाम
ब्राजील
फाल्क लैण्ड द्वीप समूह
परागवे
उरुग्वे

5. मध्य-पूर्वी एशिया :
बहरीन
लेबनान
युनाइटिड अरब अमिरात (3)
इजरायल
ओमन
यमन अरब गणतंत्र
जोर्डन
सिरिआई अरब गणतंत्र
यमन जनवादी का डी. आर. (4)

6. दक्षिणी एशिया
अफगानिस्तान
बर्मा

नेपाल
बांगला देश
भारत
पाकिस्तान
भूटान
माल द्वीप
श्रीलंका

7. सुदूर पूर्वी गाशया :
ब्रुनेई
कोरिया गणतंत्र
मलेशिया
ताइवान
वियतनाम गणतंत्र
हांगकांग
लाओस
फिलिपाइन्स
थाइलैण्ड
वियतनाम जनवादी गणतंत्र
ख्मेर गणतंत्र
मकाओ
सिंगापुर
तिमोर

8. ओशिनिया :
कोक द्वीप समूह
फ़िजी
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
फ्रांसिसी पोलिनेशि (5)
न्यू हैब्रिसिस (ब्रि और फ्र)
नारु
नियू
सोल्योमन द्वीप समूह (ब्रा.)
पश्चिमी सामोआ
न्यूकेलेन्डोनिया
पैसिफिक द्वीप समूह
(संयुक्त राज्य) (6)
टोंगा

9. यूरोप :
साइप्रस
माल्टा
यूगोस्लाविया
जिब्राल्टर
स्पेन
ग्रीक
तुर्की

(1) मुख्य द्वीप एंटिगुवा, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेंट किट्स (सेंट क्रिस्टोफ़ो) नेविस-अंगुइला, सेंट लूसिया और सेंट विन्सेंट

(2) मेन आईलैंड, मोन्तेसरत, केमान, तुर्की और काइकोस और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह।

(3) अजमन, दुबई, फुजाइरन, रास अल खमाह, शारजाह और उम अल क्वेवेन।

(4) अदन और विभिन्न सल्तनत और अमीरात सहित।

(5) सोसायटी आईलैंडस समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए आस्ट्रल द्वीप समूह, टुआमोट, जाम्बियर ग्रुप और मार्केसस द्वीप समूह।

(6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश, कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)।

(क-2) ओ. पी. ई सी. सदस्य या सहयोगी देश
अल्जीरिया
गेबोन
वेंजुइला
कुवैत
आबू-धाबी
बोलिविया
नाइजीरिया
ईरान
कतर
इंडोनेशिया
लीबियाई अरब गणतंत्र
इक्वेडोर
ईराक
सऊदी अरब

अनुबन्ध- 2

प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र

संख्या———————————दिनांक———————

सेवा में,

महायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय-- येन क्रेडिट सं.———— (परियोजना सहायता) ————के अंतर्गत जापान से————का आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित येन क्रेडिट सं.———— (परियोजना सहायता) के अधीन————से————के आयात के संबद्ध में———————(बैंक का नाम)

.....जो कि वही होना चाहिए जो नीचे (ढ) में संबद्ध समुद्रपार संभरक के नाम में साख-पत्र खोलने के लिए दिया गया है, कि प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम आपको नि-नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते है --

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता।

(ख) आयात लाइसेंस का संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके .....क्या वह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपर्युक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण।

(ङ) माल का उद्गम देश।

(च) यदि कोई हो तो पात्र में इतर स्रोत देशों से आयातित संघटकों का प्रतिशत।

(छ) संविदा का कुल जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येन में)

(ज) यदि कोई हो तो भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि (येन में)

(झ) वास्तविक जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येन में) जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है।

(ञ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक।

(ट) विदेशी संभरक का नाम और पता :

(1) राष्ट्रिकता

(2) पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा लिए गए शेयरों का प्रतिशत।

(3) प्रतिनिधि की राष्ट्रिकता और/या संभरक का निवास स्थान।

(4) उन निदेशकों का प्रतिशत जो पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक हैं।

(ठ) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथियां जिनको संविदा के अंतर्गत भुगतान देय होंगे।

(ड) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि।

(ढ) बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए)

(ण) पोतलदान अनुदेश (ट्रांसशिपमेंट/पार्ट-शिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं, निर्दिष्ट कीजिए।

(त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता

(थ) क्या उसी लाइसेंस के अंतर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई है और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई है, यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा की संख्या, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अन्तर्गत ओ. ई. सी. एफ. को इसे अधिसूचित किया गया है।

(द) क्या साख-पत्र के संचालन और रख-रखाव के लिए बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को देय बैंक खर्चे आयातकों/या संभरकों द्वारा वहन किए जाने हैं।

(ध) आयातक द्वारा वचनबद्धता :—

"हम एतद्द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से और दर से विदेशी संभरक को किए गए भुगतान के समतुल्य रुपये को पूरा और सही जमा करने का वचन देते है। प्रत्येक निक्षेप माल (आयातित सामग्री) की सुपुर्दगी सौंपने से पूर्व तत्काल ही धनराशियां जमा कराई जाएंगी। विदेशी राष्ट्रीयता वालों की सेवाओं के लिए भुगतानों के मामले में, दिए गए ज्योंही विदेशी संभरकों के संबंध बीजक हमारे द्वारा अनुमोदित कर दिए जाएं और संभरकों को भुगतान कर दिया जाए, त्योंही धनराशियां जमा करा दी जाएं।

अनुबन्ध-3

सं. एफ.
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
नई दिल्ली, दिनांक.....

सेवा में,

बैंक ऑफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय :—येन क्रेडिट परियोजना सहायता) ऋण करार सं. ..... के अधीन आयात साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 25-3-1980 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्व श्री.....के नाम में .....येन धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपत्र की प्रति आयातक के बैंक, ओ. ई. सी. एफ. भारतीय दूतावास, टोकियो और हमें पृष्ठांकित की जाए।

साखपत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान आपकी निधि से किया जाएगा। भुगतान के साथ ओ. ई. सी. एफ. को आवश्यक दस्तावेज भेजकर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करना चाहिए।

संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और ओ. ई. सी. एफ. द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि से दोनों के बीच के समय के लिए उपर्युक्त समझौते के अनुसार भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा ही ब्याज दिया जाएगा। बैंकों के अन्य खर्चे जिसमें साखपत्र खोलने, रख-रखाव करने और साखपत्रों को जारी रखने के लिए खर्च भी शामिल है क्योंकि वे भी परक्राम्य दस्तावेजों के संचालन से संबंधित है और यदि कोई हो तो विदेशी संभरकों के बैंकरों के खर्चे भी विदेशी संभरक को ही देने पड़ेंगे और इसलिए आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा ओ. ई. सी. एफ. से नहीं किया जा सकता।

जैसे ही आपके द्वारा कोई भुगतान किया जाता है और उसकी प्रतिपूर्ति आपको कर दी जाती है तो उसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिए।

यह प्राधिकार पत्र समुद्रपार संभरकों के नाम में साखपत्र खोलने के लिए है इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के मद्दे खोले गए आगे के नए साख-पत्र या साख-पत्र में बाद के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जाएगा।

यह प्राधिकार पत्र—··············तक वैध रहेगा।

भवदीय,

(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :

1. आयातक··········को उनके पत्र सं.······ दिनांक के················ संदर्भ में।

उनसे अनुरोध है कि वे बैंकरों से विनिमय दस्तावेजों की डिलीवरी लेने से पूर्व निर्धारित दर पर और तरीके से अपने बैंकरों के माध्यम से रुपया निक्षेप आदि जमा कराने का प्रबंध करें। अपवाद परिस्थितियों के रूप में यदि माल की डिलीवरी सीधे सीमा:शुल्क और पत्तन प्राधिकारियों से मूल पोतलदान दस्तावेज भेजे बिना ही प्राप्त कर ली जाती है, तो डिलीवरी लेने से पूर्व ही निक्षेप किए जाने चाहिए। विदेशी राष्ट्रीयता वालों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में जैसे ही संबद्ध योजक भुगतान द्वारा अनुमोदित हो जाए, निक्षेप कर दिए जाएं/निक्षेप जल्दी हो और ठीक से न करने पर लाइसेंस की शर्तों में उल्लिखित आवश्यक कार्रवाई की जाए।

2. आयातक के बैंकर·········· उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरक को येन भुगतान के बराबर रुपये जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं. 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा-शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी में चालान के दाहिनी ओर कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए जमा करनी चाहिए। इस संबंध में उनका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 181-आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 30-8-68, 233-आई टी सी (पी एन)/68-दिनांक 24-10-1968, 132 आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-1971, सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-1974 एवं सं. 103 आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-1976 में दिए गए प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है। वह लेखा शीर्ष जिसमें रुपया जमा कराना है वह "के डिपाजिट्स एंड एडवांसिज 843-सिविल डिपाजिट् डिपाजिट्स फार परचेज एट्सेट्रा अब्राड अंडर परचेज अंडर क्रेडिट/लोन एग्रीमेंट्स' लोन फ्राम दि गवर्नमेंट ऑफ जापान 7.535 बिलियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं. आई डी पी-29 फार 1984-85 है।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या 132 आई टी सी (पी एन)71, दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उनके चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी ;

2. सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
पहली मंजिल, यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

जिन मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में, जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

यदि कोई हो तो, बैंक के खर्चे, ब्याज और बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो शाखा के अन्य खर्चे (जिसमें विदेशी संभरकों के बैंकरों के खर्चे भी शामिल हैं) प्रमुख लेखाधिकारी विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को समतुल्य रुपए अदा करने पर

ही तय किए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा उचित सूचना बैंक आफ इंडिया, टोकियो, भारतीय दूतावास, जापान से सम्बद्ध सूचना प्राप्त होने पर ही भेजी जाएगी।

3 निदेशक, ऋण विभाग-2 समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि, टेकासी म्यूडो बिल्डिंग, 4-1, ओहाटमेची-1-कोमि, चियोडा कु टोकियो 100 जापान।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो।

5. अवर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

(लेखा अधिकारी)

अनुबंध-4

(ओ. ई. सी. एफ.--एल. सी.-1 प्रपत्र)

अपरिवर्तनीय साखप

(माल के लिए लागू)

दिनांक

सेवा में,

प्रिय महोदय ········ यह साखपत्र (श्रेणी) और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि ················ के बीच ए ऋण करार (संभरक का नाम और पता) सं ········ दिनांक ······ के अनुसरण में जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम सूचित करते है कि हमारे नाम मे निकालने के लिए बीजक के पूरे मूल्य के लिए दर्शनी हुण्डी द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं. ·· ·· खोल दिया है जो ········· येन(··· ···· ········येन कह सकते है) को कुल धनराशि से अधिक नहीं है। इसे निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजा जाना है :—

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक

क्लीन आन बोर्ड, समुद्री पोतलदान बिल जिनमे दिए गए आदेशों का पूरा सैट हो बैंक पृष्ठांकित एवं चिन्हित "फ्रेट" एवं "नोटिफाइ" अन्य दस्तावेज जिसमें ······ ·· से ··············· तक लदान का सत्यापन दिया गया हो (संविदा सं ··· ··········)यदि कोई हो के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण आंशिक पोतलदान —स्वीकृत है। वाहनान्तरण—स्वीकृत है।

पोतलदान बिल ··· ·······से बाद की तिथि का नहीं होना चाहिए। आदेशिती को ··········· 19 तक अवश्य किए जाने चाहिए।

इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर यह अंकित होना चाहिए। "अपरिवर्तनीय साखपत्र सं० ··········दिनांक ········· 19 के अन्तर्गत निकलवाया गया और आयात सदर्भ सं. (संख्याएं) यदि कोई हो, यह क्रेडिट हस्तान्तिरणीय नहीं है"।

हम एतद्द्वारा वचन देते है कि इस क्रेडिट के अंतर्गत और इसकी शर्तों का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशितों को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए कि क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एण्ड प्रैक्टिस फार डाकुमेंट्स क्रेडिट्स (1974 रिवीजन) इन्टरनेशनल चैम्बर ऑफ कामर्स, पब्लिकेशन सं. 290" के अधीन है।

सौदा करने वाले बैंक के लिए विशेष अनुदेश :—;

उपर्युक्त ऋण करार के अंतर्गत जारी किए गए वचन पत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वचन देते हैं कि हम सौदा करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हुण्डी की धनराशि लौटा देंगे।

2. सौदा करने वाले बैंक को यह बताते हुए हम ड्राफ्ट और दस्तावेजों का एक पूर्ण सैट और इसके साथ एक प्रमाणपत्र अवश्य भेजे कि शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा ·············· को भेज दिए गए हैं।

3. इस क्रेडिट के अंतर्गत सभी बैंक के खर्चे आयातक/संभरक के लेखे के लिए है।

भवदीय,

(·· ·· ··· ·· ·)

वाणिज्यिक बैंक

द्वारा ····· ·········.

प्राधिकृत हस्ताक्षर

भुगतान शर्तें

यह भुगतान हमारी साखपत्र सं० ·· ······ का अभिन्न अंग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि ······ येन जो कि कुल संविदा मूल्य के ····· प्रतिशत है

अपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

2. मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हो)

धनराशि ..... येन
जो कि कुल संविदा मूल्य का
..... प्रतिशत है

अपेक्षित दस्तावेज
प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

3. पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे भुगतान

धनराशि ..... येन
संविदा के कुल मूल्य का .....
..... प्रतिशत है

टिप्पणी : —पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे पूर्ण भुगतान के मामले में इस संलग्न दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है ।

अनुबंध—5

(प्रपत्र ओ ई सी एफ एल सी-2)

अपरिवर्तनीय साख पत्र
(सेवाओं के लिए लागू)

दिनांक .....

सेवा में,

..... यह साखपत्र ऋणी और
..... विदेशी आर्थिक सहयोग निधि
..... के बीच हुए ऋण करार सं.
.... दिनांक .....
(संभरक का नाम व पता) के अनुसरण में जारी किया गया है ।

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए पूर्ण ब्यौरे मूल्य के लिए लाभकारी ड्राफ्ट एट साइट द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं ..... खोल दिया है जो येन ..... (येन ..... पहले) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है ।

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (संविदा ..... और परियोजना ..... से संबंधित दस्तावेजों को नत्थी करना है सौदा तय करने के लिए ड्राफ्ट ..... से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिएं ।

सभी ड्राफ्ट और वस्तावेज अपरिवर्तनीय साखपत्र सं. ..... दिनांक ..... के अंतर्गत भुना लिए गए हैं, से चिन्हित होने चाहिएं ।

यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं हैं ।

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अंतर्गत इसकी शर्तों का अनुपालन करके भुनाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशिती को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे ।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए, यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एण्ड प्रैक्टिस फार डाकूमेंटरी क्रेडिट्स (1974 रिवीजन) इन्टरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ब्रोचर नं. 290" के अधीन है ।

सौदा करने वाले बैंक को विशेष अनुदेश : —

1. इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी और इसके मनोनीत अधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के मूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात् इस क्रेडिट के अंतर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिए । प्रारम्भिक भुगतान के मामले में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बजाए लाभकारी विवरण की आवश्यकता है ।

2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए वचनबद्धता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतानों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टों की धनराशि का मोल तोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रेषित करने का वचन देते हैं ।

3. उपर्युक्त मद 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेज की एक प्रति और मसौदे हमें उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे जाएंगे ।

4. इस साखपत्र के अन्तर्गत बैंक के सभी खर्चे आयातकों/संभरकों को लेखे के लिए हैं ।

भवदीय,

(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा .....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साखपत्र सं ..... का एक अभिन्न अंग है ।

1. प्रारंभिक भुगतान

धनराशि ..... येन
कुल संविदा मूल्य का ..... प्रतिशत है ।
अपेक्षित दस्तावेज लाभकारी विवरण की
अंतिम भुगतान तिथि

2. भुगतान वृद्धि

सम्पूर्ण योग की धनराशि.. .... .येन

कुल संविदा मूल्य का............ ...प्रतिशत

निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है —

देय धनराशि अन्तिम भुगतान तिथि

येन............ ....

पहली किस्त येन ....

दूसरी किस्त येन ....

....

अपेक्षित दस्तावेज (ऋणी अथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र संलग्न है।

निष्पादन का विवरण

दिनांक... ...

संदर्भ........

सेवा में,

....

....

....

(संभरक का नाम और पता)

संदर्भ :—ऋण करार सं०..........के अन्तर्गत ....परियोजना से संबंधित.......... के नाम में..........येन के लिए.......... द्वारा जारी किए गए शाखपत्र की सं०.......... दिनांक ....।

मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रतिनिधि (ऋण) एतद्द्वारा...... ....और..........के बीच समझौता सं. ....दिनांक............में निहित भुगतान की शर्तों के अनुसार समुद्रपार आर्थिक सहायता निधि द्वारा.............................. की धनराशि(........ ....येन केवल) प्राप्त करने के लिए एक निष्पादन विवरण जारी करता हूं।

(.................)

(ऋणी)

द्वारा.............. .

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विशेष अनुदेश :—

वास्तविक निष्पादन का विवरण इससें संलग्न पत्र मे दर्शाया जाएगा।

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 15-ITC(PN)|85—88

New Delhi, the 14th June, 1985

Subject . Licensing Conditions in respect of imports of goods and services under the Yen Credit of Yen 7.535 Billion for Telecommunications Project (VII) extended by the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan.

File No. IPC|23(15)|84 85.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under the 7.535 Billion Yen Credit extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) or financing the import requirements of the Telecommunications Project (VII) as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

S. I. TRIPATHI,
Chief Controller of Imports and Exports

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 15-ITC(PN)|85—88 DATED THE 14TH JUNE, 1985

Licensing Conditions in respect of Imports of Goods and Services under the Yen Credit of Yen 7.535 Billion for Telecommunications Project (VII) Extended by the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan

Section I.—General Conditions :

1. (i) The Yen Credit of Yen 7.535 billion extended by the Overseas Economic Cooperation Fund Japan (OECF) for financing the import requirements of the Telecommunications Project of the DGP&T is untied in favour of Japan and developing countries. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I (ii) Import Licence(s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DCTD|CG Committee. The value of import licence(s) issued under this credit should not exceed Yen 8.30 Billion (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of the issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)|74 dated the 6th June, 1974 issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. JD-P. 29". The first and second suffix to the licence code will be "S|JC". This will also be repeated in the letter from the CCI&E

forwarding the import licence to DGP&T, a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (iii) Import Licence(s) can be issued only in favour of DGP&T on CIF basis.

I (iv) Depending on the convenience of DGP&T more than one import licence may be issued under this credit, but the total value must not exceed Yen 8.30 Billion (CIF) as specified at (i) above.

I (v) Licences for import of Capital Goods will be issued with an initial validity period of 24 months. Request for extension in the validity period issue of a fresh import licence should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I (vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in India rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I (viii) Firm order must be placed on FOB basis on the overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Freight and insurance charges will be payable in India in Indian rupees. 'Firm orders' means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas suppliers. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of the rupee equivalent, ect. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I (x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows.

". . . . Months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of . . . .".

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should be beyond 31-12-88.

Section—II. Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II (i) The FOB value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should include Indian Agent's commission, if any, which would be paid in India rupees.

In no circumstances the contract value shoud be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

Goods and services to be financed out of the proceeds of the loan shall be procured through Formal Open International Tendering in accordance with Guidelines for procurement under the loan.

II (ii) However prior approval of the Fund shall be obtained, if it is proposed to adopt procurement procedures other than Formal Open International Tendering for goods and services to be financed out of the proceeds of the loan, submitting to the Fund an application for approval of procurement method(s) signed by duly authorised person.

Prior to inviting bids for the procurement of goods and services, the copies of all notices and instructions to bidders, the bid form, the proposed contract specifications and drawings and all other documents relevant to the bidding shall be submitted to the Fund for its prior approval.

Prior to issuing a notice of award to the successful bidder, the analysis of bids and the proposal for award shall be submitted to the Fund for its approval. The above documents/application may be forwarded, in duplicate, to the Deptt. of Economic Affairs (Japan Section) for obtaining approval of OECF.

II (iii) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 29 for 1984-85 details of which are given in Section VI below.

II (iv) Only one contract shoud be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II (v) Eligibility of Supplier

Suppliers shall be nationals of the eligible source countries or judicial persons incorporated and registered in the eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source countries.

II (vi) Declaration in Contract

The following declaration as to the eligibility of goods and supplier signed and dated by the supplier, shall be attached to each contract :—

"I, the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in———— (name of the eligible source country concerned),

I, the undersigned, further ertify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty per cent (30 per cent) in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{and Supplies FOB Price}} \times 100$$

"I, the undersigned, hereby certify that———— (Name of company) has been incorporated and registered in————(name of eligible source country); and is controlled by nationals of—————)name of the eligible source countries concerned)."

II (vii) Permissible imports from non-eligible source countries.

Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty per cent (30 per cent) of the price per unit of such products in accordance with the following formula :—

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

Section III. Conditions to be incorporated in the supply Contracts

III. (i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

(a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 26th December, 1984 concerning the Yen Credit No. ID-P-29 (Project Aid) for Telecommunications Project (vii) and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.

(b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo under the Loan Agreement No. ID-P-29 dated 26th December, 1984 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

(c) The Overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.

(d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II(vi).

III (ii) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV.—Contract Approval of OECF

IV (i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signed by both DGP&T and overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi

IV (ii) The above procedure will also apply to all contract—amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV (iii) The Ministry of Finance (DEA), Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen Credit No. ID-P-29 (Project Aid) for Telecommunications Project (VII).

Section V.— Payment to the overseas suppliers—Letter of Credit procedure

V (i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, DGP&T and the CAAA will be informed of the same. Whereafter the DGP&T should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, (hereinafter referred to as CAA&A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure-II for issue of letter of authorisation. The CAA&A will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure-III addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable

Letter of Credit as in the form attached as Annexure-IV (for physical imports) or Annexure-V (for services) in favour of the Overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and Japan sections Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V. (ii) On receipt of the letter of athority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-IV (applicable to physical imports) or V (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo the importer's Bank in India and the CAA&A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA&A would ipso facto apply to all such amendments to letter of authorisation|letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V. (iii) The overseas supplier shall, after affecting shipment of the goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V. (iv) All charges on account of opening maintenance and on the operation of the letter of Credit will be to the account of the importer|overseas suppliers and hence not reimbursable from OECF.

For the time lag between the dates of payment of the F.O.B. cost of the material by the B.O.I., Tokyo to the suppliers and the date of reimbursement by the OECF to the B.O.I., Tokyo, the B.O.I., Tokyo will charge interest as per the terms and conditions of the Agreement entered into by them with the Government of India (Ministry of Finance) on 25-3-1980 and get the same reimbursed by the Embassy of India, Tokyo. The expenditure on account of this interest-payment by the Embassy of India in Japan will be recovered from the P&T Department vide Section VI(iv) infra.

Section VI.—Responsibility for rupee deposit

VI (i) The Bank of India Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of DGP&T as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the DGP&T make the rupee deposits at RBI, New Delhi indicating Code No 5130000009 on the right hand corner of the Challain or SBI, Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. The rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas supplier are to be deposited into Government of India Account in the manner prescribed in Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite Tune or exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notices No. 109-ITC(PN)|74 dated 3-8-74 and No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their Bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited into the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities under exceptional circumstances. In case the importer fails to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further LAS to him may be stopped and the matter reported to the CCI&E so that no further import licence is issued to such an importer. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposits for purchase etc. abroad Purchase under credits|Loan Agreements"—loans from the Government of Japan 7.535 billion Yen Credit No. ID-P-27 for Telecommunication Project (VII). The provisions regarding calculation and deposit of interest charges mentioned in the above said Public Notice of 31-5-1974 will, however, not be applicable, as no interest charges are recoverable in respect of imports made by Central Government departments.

VI (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Callan or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notice No. 184-ITC(PN)|68 dated 30-8-68. No. 233-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976.

VI (iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs). While filling in the various columns|in the challan it should be ensured by the importers|their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars or remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury Challans :—

(a) Ministry of Finance Letter of authority No. and Date.

(b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payment and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite 'S' Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

The rupee equivalents of Yen payments on account of interest charges etc., made by Embassy of India, Toyko, to B.O.I., Tokyo will also be calculated in the manner laid down in para VI(i) of Section VI above and deposited in favour of the Principal Accounts Officer, Ministry of External Affairs, New Delhi, for which purpose, CAA&A will be issuing suitable advices.

Section VII. Miscellaneous provisions.

VII (i) Reports on the utilization of the import licence

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made thereagainst and about the balance left, to the Controller of Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VII. (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VII (iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-II under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VII (iv) Future Instructions

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen credit Agreement (Project Aid) No IDP. 29 with the overseas Economic Fund of Japan (OECF).

VII (v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VII (vi) List of Annexures

Annexure—I List of eligible source countries.

Annexure—II Request for issue of Letter of Authority.

Annexure—III Form of Letter of Authority.

Annexure—IV Form of Letter of Credit (Applicable to Physical Imports).

Annexure—V Form of Letter of Credit (applicable to Services).

ANNEXURE I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. Developing Countries and Territories

(a1) Non-OPEC Developing Countries

I. AFRICA, North of Sahara

Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara

Angola
Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of Dahomay
Equatorial Guinea (1)
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania, Mauritius
Moozambique
Niger

Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and dep. (2)
Sao Tomo and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro. Afars and Issas
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

III. AMERICA, North & Central

Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Netherlands An Tilles
Nethrlands An Tilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tobago

West Indies (Br.) n.i.e.

(a) Associated States (1)
(b) Dependencies (2)

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

(2) Including the following islands : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saha, St. Eustacit St. Martin (Southern Part).

IV. AMERICA, South

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. ASIA, Middle East

Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R (4)

VI. ASIA, South

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
India
Maldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA, Far East

Brunei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of Laos
Macao
Malaysia
Phillippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Viet-Nam, Rep. or
Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. OCEANIA

Coek Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Polynesia (5)
Nauru
New Calendonia

New Hebrices (Br. and Fr.)
Niue
Pacific Islands (US) (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tonga
Wallis and Futuna
Western Samoa

IX. Europe

Cyprus
Gibraltar
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

(1) Main Islands :—Antigue, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristophe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

(2) Main Islands :—Montserrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.

(3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.

(4) Including Aden and various sultanates and emirates.

(5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

(6) Trust Territory of the Pacific Islands :— Caroline Islands, Marshali Islands, and Marine Islands (except Guam).

(a-2) Member or Association Countries of OPEC

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

ANNEXURE II

Request for issue of the Letter of Authority

No. Date

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, Ist Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Subject :—Import of.....from Japan under the Yen Credit No.....(Project Aid)

Sir,

In connection with the Import of.....from..... under the above-mentioned Yen credit No..... (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the letter of Authority to the..... .....(name of the Bank) which should be the same as given in (b) below for opening a Letter of Credit in favour of overseas supplier concerned.

(a) Name and Address of the Indian importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement —whether it is based on direct purchase of Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.

(g) Gross FOB value of contract (in Yen).

(h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any.

(i) Net FOB value (in Yen) for which the Letter of Authority is required.

(j) Number and date of the contract with overseas suppliers.

(k) Name and Address of the overseas supplier :—

(i) Nationality.

(ii) Percentage of the shares held by nationals of the eligible source countries.

(iii) Nationality of the representative and/or President of the supplier.

(iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.

(l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(m) Expected date of completion of deliveries.

(n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India,Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(o) Shipment instructions (indicate if transhipment|part-shipment permitted or not permitted).

(p) Name and address of the importer's bank in India.

(q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities and if so, the No. date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the O.E.C.F.

(r) Whether the Banking charges payable to B.O.I., Tokyo for opening, maintenance and operation of Letter of Credit will be borne by the importer|supplier.

(s) Undertaking by the importer :—

"We hereby undertake to make full and correct deposit of the rupee equivalent etc., of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by Government. The deposits will be made promptly before taking delivery of each consignment of the goods (material imported). In case of payments for services of foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant invoices of the foreign suppliers are approved by us and the payments made to the suppliers."

ANNEXURE III

(Letter of Authority Form)

No. F.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the.....198 .

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan)

Subject :—Import under Credit (Project Aid)—Loan Agreement No.....Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-1980 entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen.....favouring M|s..... as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank, to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

Payment to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

For the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the OECF, you will be paid interests as per terms of the above agreement by the Embassy of India, Tokyo. The other Banking charges including those on account of opening, maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the importer|overseas suppliers. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L|C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L|C or further fresh L|Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain vaild upto.....

Yours faithfully,

(Accounts Officer)

Copy forwarded to :—

1. Importer.....with reference to their letter No.....dated.....

They are requested to arrange to deposit through their Bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner, before taking delivery of the negotiable documents from the Bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and Port authorities without furnishing the original shipping documents, the deposits should be made before taking the delivery. In case of payments for services rendered by foreign nationals, the deposits should be made as soon as the relevant invoices are approved for payment. Failure to make the deposits promptly and correctly may entail action as mentioned in the Licensing Conditions.

2. Importer's Banker..... They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo

Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-68, 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of account to be credited is "K-Deposits and Advances-843-Civil Deposits-Deposit for purchases etc., abroad under Purchase under Credit/Loan Agreements"—Loans from the Government of Japan-7.535 billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P.29 for 1984-85.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

2. The Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalent are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

The banking charges, interest and other charges of the Bank of India, Tokyo Branch (including charges of the overseas suppliers bankers), if any, should be settled by paying their rupee equivalents to the Principal Accounts Officer in the Ministry of External Affairs, New Delhi. For this purpose appropriate advices will be sent by this Department on receipt of relevant information from the Bank of India Tokyo/ Embassy of India in Japan.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer

ANNEXURE IV

Form OECF—LC 1

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for goods)

Date .

To.....

.....

(Name and address of the Supplier)

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. .....dated..... between (Borrower) and the Overseas Economic Cooperation Fund.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.....in your favour for account of..... for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Yen..... (Say Yen..... available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents :

Signed commercial invoice in.....
Full set of clear on board ocean bills of lading out to order and blank endorsed and marked "Freight" and "Notify"

Other documents
evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No.. . ...(if any) from.....to.....
Partial shipments are permitted. Transhipment is permitted.

Bills of lading must be dated not later than.....
Drafts must be presented for negotiation not later than.....

All drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under.....irrevocable credit No.....dated..... ....(if any)". and Import Refernce No.(s)

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After obtaining the reimbursement for our payments from the Overseas Economic Cooperation Fund in accordance with the provisions of the letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.

2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to.....

3. All banking charges under this credit are for the account of imports/supplies.

Yours faithfully,

(a commercial bank)
By :

(Authorised Signature)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No.————————.

I. Initial Payment

Amount : Yen————————
being————————% of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

II. Intermediate Payment (if any)

Amount Yen————————
being————————% of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date .

III. Payment against Shipping Documents.

Amount :————————being per cent of the total contract price.

Note . This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

ANNEXURE V

Form OECF—LC II

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for Services)

To

.....

(Name and address of the Supplier)

Date :

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No.————————

dated————————

between (Borrower) and the Overseas Economic Cooperation Fund.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.———— ——in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Yen———— —(Say Yen———————— available by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached thereto, concerning (Contract No. with regard to————————Project). Drafts must be presented for negotiation not later than————————

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No.————dated————".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290."

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto, payment (s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's Statement is required instead of the above-mentioned Statement of Performance.

2. After obtaining the reimbursement for our payment from the Overseas Economic Cooperation Fund in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the abovementioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.

3. A copy of the document as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.

4. All banking charges under this credit are for the account of the imports|supplies.

Yours faithfully,
(a commercial bank)

By :

(Authorized Signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No.——————.

I. Initial Payment

Amount : Yen———
being——— per cent of the total contract price

Required documents : beneficiary's Statement
Latest presentation date :

II. Progress Payment

Aggregate amount : Yen———
being———% of the total contract price to be paid as follows :

Amount due Latest presentation date———

Ist Instalment :

2nd Instalment .

. . . .

Required document : a copy of Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto.

Statement of Performance

Date :

Ref. No.

To————

(Name and address of the Supplier)

Re : Letter of Credit No..————, dated
issued by———
for Y——— in favour of
——— concerning ——— Project under
Loan Agreement No.————.

I, the undersigned representing (Borrower), hereby issue a statement of Performance to entitle——— to receive the sum of Yen———
(Yen——— only)
from the Overseas Economic Cooperation Fund in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No.——— dated——— between———
———

(Borrower)

By :

(Authorised Signature)

Special Instructions :

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985